

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठसीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25/2018 (रे.वि.)  
पंजीयन दिनांक 05.03.2018

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड ( जो पूर्व में ए. यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी  
-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री शिवराज सिंह सिसोदिया पुत्र श्री विजय सिंह सिसोदिया जाति राजपूत निवासी ग्राम चिकसी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज.
- 2-श्री विजय सिंह सिसोदिया पिता श्री इन्द्रसिंह सिसोदिया जाति राजपूत निवासी ग्राम चिकसी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज.
- 3-श्रीमति भगवत कंवर पत्नि इन्द्रसिंह सिसोदिया जाति राजपूत निवासी ग्राम चिकसी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज.
- 4-श्री भैरुसिंह पिता इन्द्रसिंह सिसोदिया जाति राजपूत निवासी ग्राम चिकसी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज.
- 5-श्री गजराज सिंह पिता इन्द्रसिंह सिसोदिया जाति राजपूत निवासी ग्राम चिकसी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज.
- 6-श्रीमति गिरजा कंवर पत्नि विजयसिंह सिसोदिया जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर-53, चिकसी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज.
- 7-श्री समन्दर सिंह पिता तेजसिंह सिसोदिया जाति राजपूत निवासी भाटियों का खेड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज.

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 08.05.2018

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को

राशि रुपये 3,25,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से विपक्षी संख्या 2 श्री विजय सिंह ने स्वयं उपस्थित होकर संयुक्त जवाब पेश किया। उसके पश्चात् विपक्षीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

श्रीमति भगवत कंवर पत्नि इन्द्रसिंह राजपुत की सम्पत्ति जो ग्राम चिकसी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 820 स्क्वायर फीट है चतुसीमा:-

पूर्व में :- लालसिंह जी का मकान पश्चिम में :- किशनसिंह जी का मकान  
उत्तर में :- रेखा बैरागी का मकान दक्षिण में :- मेन रोड

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 29.04.2017 तक राशि रुपये 5,54,064/- रुपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते हैं। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

सहऋणी विपक्षी संख्या 2 ने संयुक्त जवाब पेश किया कि पारिवारिक परिस्थितियों से ऋण जमा नहीं करा सके। ऋण जमा कराने हेतु कुछ अवधि 2-3 माह का समय दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्वोरिटार्डिजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ

फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गयी सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’

(इन्द्रजीत सिंह)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़